संख्या-68/2022/53मंत्री/26-3-2022

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23जून, 2022

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद अम्बेडकर नगर के विकास कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-781/स.क./विकास/अम्बेडकर नगर(156)/2019-20, दिनांक-23.07.2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-10-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0-2000.00 लाख (रू0 दो हजार लाख मात्र) से लेखानुदान अवधि के लिये जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त लम्बित देयता के दृष्टिगत जनपद अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड भीटी के ग्राम भिखारीपुर (बलरामपुर), रेवली, मानिकपुर एवं गोइथा में लेपन कार्य, रवर मोल्डिंग, इण्टरलाकिंग कार्य, मिट्टी एवं खडंजा से सीसी रोड के विकास कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0-172.42 लाख के सापेक्ष रू0-100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

जनपद-अम्बेडकरनगर, विकासखण्ड-भीटी **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र0सं0	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**कार्य की लागत**	**प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि**	**स्वीकृति धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	भिखारीपुर (बलरामपुर)	लेपन कार्य	109.32	54.66	30.00
2	रेवली	लेपन कार्य	33.03	16.515	5.00
3	मानिकपुर	रबर मोल्डिंग इण्टरलाकिंग कार्य	120.88	60.44	40.00
4	गोइथा	मिटटी एवं खडंजा से सी0सी0रोड	81.61	40.805	25.00
	योग		**344.84**	**172.42**	**100.00**

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0), लखनऊ से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायोगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा भौतिक सत्यापन आख्या के साथ फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत धनराशि के अनुपात में कार्य कराने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(6)-आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(8)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पंूजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीय
रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव

पृ0 सं0- 68/2022/53 मंत्री/001/26-3-2022-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, अम्बेडकर नगर।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सी0एल0डी0एफ0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in